5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

निगरानी प्रकरण कमांकः /2018
प्रस्तुती दिनांकः 24.09.2018

श्रीमान माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, केम्प उज्जैन के समक्ष

निगरानी- 5930/2018/देवास/भू.रा.

1. सुभाष पिता शिवनारायण कलोता,
निवासीः ग्राम – नराना, टप्पा – भौंरासा,
तहसील – सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.)

2. राधेश्याम पिता भागीरथ,
निवासीः ग्राम – नराना, टप्पा – भौंरासा,
तहसील – सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.)

... प्रार्थीगण

578
24/9/18

विरूध्द

1. पाचुबाई पति घनश्याम,
निवासीः ग्राम – नराना, टप्पा – भौंरासा,
तहसील – सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.)

2. विनोद पिता जयराम,
निवासीः ग्राम – नराना, टप्पा – भौंरासा,
तहसील – सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.)

... प्रतिप्राथीगण

निगरानी आवेदन धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत

प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय – अतिरिक्त तहसीलदार, टप्पा भौंरासा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) द्वारा प्रकरण कमांक/0003/अ–13/2017–18 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04.08.2018 के विरूध्द श्रीमान के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

1. **प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य** :–

1. यह कि, प्रतिप्रार्थीगण के द्वारा विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 131, 32 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, प्रतिप्रार्थीगण की ग्राम नराना हल्का नंबर 45 में कृषि भूमि सर्वे कमांक 368/1/2, रकबा 0.500 हेक्टर भूमि प्रतिप्रार्थी कमांक 1 के नाम से दर्ज है तथा सर्वे कमांक 335, रकबा 0.120 हेक्टर, सर्वे कमांक 336/2, रकबा 0.120 हेक्टर तथा सर्वे कमांक 368/2, रकबा 0.070 हेक्टर भूमि प्रतिप्रार्थी कमांक 2 के नाम से दर्ज है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5930/2018/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	

उत्पीन जैन

[पीछे देखिये

0.070 हेक्टर भूमि प्रतिप्राथी क्रमांक 2 के नाम से दर्ज है।